

लोक सभा वाद-विवाद का हिन्दी संस्करण

पहला - सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)



(खण्ड 1 में अंक 1 से 5 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री सुरेन्द्र मिश्र
महासचिव
लोक सभा

श्रीमती रेवा नेयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्रीमती सरिता नागपाल
सहायक सम्पादक

श्री गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्री मुन्नी लाल
सहायक सम्पादक

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 1, पहला सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 3, शुक्रवार, 24 मई, 1996/3 ज्येष्ठ, 1918 (शक)

विषय	कालम
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
राष्ट्रपति का अभिभाषण-सभा पटल पर रखा गया	1—9
निधन संबंधी उल्लेख	10—12
सभा पटल पर रखे गये पत्र	12—14
लोक सभा की बैठक के संबंध में घोषणा	16

लोक सभा

शुक्रवार, 24 मई, 1996/3, जयष्ठ, 1918 (शक)

लोक सभा अपराह्न 12.32 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

सदस्यों द्वारा शपथग्रहण

अध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों ने पहले शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञान नहीं किया है, अब वे सदस्य शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे।

श्री आनंद मोहन (शिवहर)

श्री ज्ञान सिंह (शहडोल)

अपराह्न 12.34 बजे

राष्ट्रपति का अभिभाषण

[अनुवाद]

महासचिव : मैं 24 मई, 1996 को एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के समक्ष दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

राष्ट्रपति का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

लोक सभा के ग्यारहवें आम चुनावों के बाद इस पहले सत्र में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं, नई लोक सभा के सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ।

हाल ही में हुए आम चुनावों में भारतीय जनता ने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। राष्ट्र एवं विश्व ने भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की भव्यता को देखा है। यह चुनाव कुशलता एवं तत्परता के साथ कराए गये। हमारे लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ अधिकार का प्रयोग किया। भारत ने एक बार फिर अपनी लोकतांत्रिक चेतना की सुदृढ़ता, जीवन्तता एवं स्थायित्वता की प्रवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत किया है। सरकार चुनाव परिणामों में निहित जनदेश का पूरा सम्मान करेगी। संसद का वर्तमान सत्र यह निश्चित करेगा कि मंत्री परिषद को लोक सभा का विश्वास प्राप्त है या नहीं।

आज देश इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। 20वीं शताब्दी समाप्त होने जा रही है, और हम नई सदी में प्रवेश करने जा

* राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण हिन्दी में दिया।

ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिये संख्या एल.टी.-2/96

रहे हैं। नियति एक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने के लिए हमारा आह्वान कर रही है। इस पृष्ठभूमि में उपजे ऐतिहासिक कथों को पूरा करने की हमारी साझी जिम्मेदारी के प्रति सरकार पूरी तरह सचेत है। हमारा यह सतत प्रयास होगा कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर आम सहमति प्राप्त की जाए।

राष्ट्र का मान-सम्मान, प्रतिष्ठा और शक्ति को कायम रखना हमारे प्रमुख कार्यों में है। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने अच्छा शासन मुहैया कराने के उद्देश्य से जो मूल संस्थाएं निर्मित की हैं, उन्हें सुदृढ़ करना आवश्यक है। इसके लिए हमारी शासन-व्यवस्था एवं प्रशासन में आवश्यक सुधार लाना जरूरी है।

स्वच्छ एवं कुशल प्रशासन उपलब्ध करना आज की आवश्यकता है, और सरकार इस उद्देश्य के प्रति वचनबद्ध है। ईमानदारी एवं जिम्मेदारी को लोक प्रशासन के मूल प्रतिमान बनाना है। प्रशासनिक, वैधानिक एवं राजनैतिक सभी क्षेत्रों में उचित मर्यादा, स्फूर्ति एवं प्रभावशीलता परिलक्षित होनी चाहिए।

हमारी चुनाव प्रक्रियाओं की कमियों की ओर भी ध्यान दिया जाना है। यह मामला काफी समय से लंबित है, और इसमें अब अधिक विलंब ठीक नहीं होगा। इस बारे में समय-समय पर अनेक सुझाव दिए गये हैं। उपलब्ध पर्याप्त जानकारी और अन्य बातों के आधार पर चुनाव प्रक्रिया में तत्काल अपेक्षित सुधार लाए जायेंगे। चुनाव प्रक्रिया में धन-शक्ति के इस्तेमाल को रोकने, राजनैतिक दलों को जवाबदेही सुनिश्चित करने और अनुचित तरीकों को समाप्त करने पर बल दिया जाएगा।

निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा करना एक और ऐसा पहलू है, जिसकी ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा प्रमुख उद्देश्य मनमाने ढंग से निर्णय लेने की गुंजाइश को यथासंभव कम करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारी प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत सरल और सुस्पष्ट हैं। ऐसे कार्यक्रम के सार्थक कार्यान्वयन हेतु लोक शिकायतों शीघ्र निपटाने के लिए आवश्यक प्रबंध करने होंगे।

सरकार न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग अधीनस्थ न्यायपालिका की कार्यप्रणालियों एवं कार्य परिवेश, परिलक्षितों व सेवा-शर्तों का व्यापक परीक्षण कर रहा है। सरकार उसके कार्य में हर प्रकार की सहायता करेगी, ताकि वह अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत कर सके।

सरकार आधुनिक प्रबंध तकनीकों का विस्तार करके तथा न्यायाधीशों के रिक्त पदों को शीघ्र भरकर न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने का पूरा प्रयास करेगी।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कल्याण को सुदृढ़ करने की आवश्यकता के प्रति सरकार पूरी तरह सचेत है। पंचवर्ष वेतन आयोग इस समय उनकी परिलक्षितियों, वेतन-बांधे और सेवा-शर्तों पर विचार कर रहा है। आयोग की अंतिम रिपोर्ट आने में अभी कुछ समय और

लग सकता है। अतः सरकार ने आयोग से यथाशीघ्र अंतरिम सिफारिश करने का अनुरोध किया है, जिससे उसके आधार पर कर्मचारियों को यथोचित रहत दी जा सके।

सरकार प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यापक विस्तार के कारण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का महत्व हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक बढ़ गया है। हम प्रसार भारती अधिनियम, 1990 को पूर्णतः कार्यान्वित करके आकाशवाणी एवं दूरदर्शन को सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखने के लिए कृत संकल्प हैं। वर्ष 1995 में उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार को यह निदेश दिया है कि वह वायुतरंग विनियमित करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना करे। सरकार सही मायनों में स्वायत्तशासी प्रसार भारती निगम स्थापित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। यह निगम सूचना के प्रसार में राष्ट्रीय पहचान, एकता एवं विश्वसनीयता को सुदृढ़ करेगा, तथा गुणात्मक शिक्षण व मनोरंजन की व्यवस्था करेगा।

हमारे देश की विशालता, इसकी विविधता और अंतर्निहित एकता हमारी मूल शक्ति है। भारत एक राष्ट्र, एक जन है, जिसकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न समुदायों और वर्गों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध सुदृढ़ हों, सभी कदम उठाएगी सरकार सभी लोगों, विशेषकर कमजोर एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के जान-माल की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। हिंसा के बल पर अलगाववाद, उग्रवाद, अपराधीकरण और असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी भी सम्य समाज में कोई स्थान नहीं होता, और इनसे सरकार संख्यी से निपटेगी। ऐसा करने के लिए सरकार यह नहीं भूलेगी कि इन समस्याओं को हल करने में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उपाय भी समान रूप से जरूरी हैं।

हमारे देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र आज भी हिंसा, विद्रोह और जातीय संघर्ष से जूझ रहा है। सुरक्षा के साधनों और खुफिया-तंत्र को सुदृढ़ बनाकर सीमा-पार से विदेशी हथियारों और आतंकवादियों के प्रवेश को रोकने की आवश्यकता है। गैर-कानूनी आप्रवास अनिश्चितता की स्थिति पैदा करता है। अतः इसको रोकने के लिए व्यापक उपाय करने होंगे। आर्थिक विकास को तेज करने के लिए प्रभावी प्रशासन का होना और लोक शिकायतों को तत्काल निपटाने के लिए एक सुदृढ़ तंत्र स्थापित करना भी नितांत आवश्यक है।

जम्मू-कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। हम अपने आंतरिक मामलों में किसी भी हस्तक्षेप को बंदाशत नहीं करेंगे। हम इस राज्य की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को बहाल करना चाहते हैं। इसके लिए ऐसे सभी प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो सकें। इसके साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रयासों को भी तेज किया जाएगा।

सरकार केन्द्र एवं राज्यों के संबंधों में और सुधार लाने के लिए तत्सुक है। सरकारी आयोग की रिपोर्ट तथा अन्य व्यापक अध्ययनों। इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर पर्याप्त सुझाव प्राप्त हुए हैं। अतः यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य सरकारों के साथ और अधिक राम्रण किया जाए, और संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग न

हो। संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत परिकल्पित अंतराज्यीय परिषद की भूमिका एवं महत्व की व्यापक समीक्षा की जाएगी, तथा उसे एक ऐसा प्रभावी तंत्र बनाया जाएगा, जो राज्यों के बीच विवादों को निपटाने और उनके साझे हितों से संबंधित नीतियों एवं कार्यों के मामले में बेहतर तालमेल बनाने में समर्थ हो।

उत्तरांचल और वनांचल के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार ऐसे सभी कदम उठाएगी, जो उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए उपयुक्त हों। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा।

हम भारतीय अर्थव्यवस्था को ऐसा रूप देना चाहते हैं, जिससे भारत विश्व के राष्ट्रों में अग्रणी होकर अपनी नियति प्राप्त कर सके। हमें प्रत्येक भारतीय की रचनात्मक प्रतिभा पर पूरा विश्वास है। इन प्रतिभाओं का भरपूर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रणों एवं विनियमों के पुराने ढांचे को हटाना होगा, तथा विकास के लिए मुक्त बाजार व्यवस्था के सहायक की भूमिका अदा करने के लिए सरकार को मजबूती प्रदान करनी होगी। साफ ही गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तथा सामाजिक संरचना को भी सुदृढ़ करना होगा।

पिछले पांच वर्षों में हुए आर्थिक सुधारों से कुछ सफलता मिली है। सरकार आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को तेज करके, आधारभूत संरचना के विकास को अधिक प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देकर तथा राजस्व एवं मुद्रा नीतियों का एक सुदृढ़ ढांचा कायम करके अर्थव्यवस्था में विकास की शक्ति को बढ़ाएगी, तथा मुद्रा-स्थीति को नियंत्रित करेगी।

आज ब्याज की ऊंची दरों तथा जमापूंजी की कमी से उद्योग, व्यापार व कृषि के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसका मूल कारण यह है कि सरकार लगातार बढ़ रहे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज ले रही है। सरकार गैर-विकास खर्च कम करेगी, तथा राजस्व घाटा कम करने के लिए कर-सुधारों में तेजी लाएगी। इस प्रकार अधिक उत्पादक कार्यों के लिए संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। सरकार उन क्षेत्रों का पता लगाएगी, जिनमें उसकी भूमिका की आवश्यकता नहीं है। कराधान के क्षेत्र में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि न केवल कर के स्तर एवं दरें ऐसी हों, जिनसे विकास कार्य में बाधा न पड़े, बल्कि उनसे समाज के समृद्ध वर्गों के बीच कर के बोझ का समान रूप से बंटवारा हो सके। हम एक उपयुक्त मूल्य संबंधित कर-ढांचा भी तैयार करेंगे।

काफी समय से लंबित सरकारी कर्ज से छुटकारा पाने तथा लोक उद्यमों में लगी परिसम्पत्तियों से अधिकाधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए सरकार एक ऐसे विनिवेश आयोग का गठन करेगी, जो विनिवेश की प्रक्रिया में सुव्यवस्थित एवं सुस्पष्ट ढंग से तेजी ला सके। मुनाफे का कुछ हिस्सा सरकारी ऋण को चुकता करने के लिए निर्धारित किया जाएगा, तथा शेष राशि का इस्तेमाल पूंजीगत खर्च के लिए किया जाएगा। विनिवेश करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि कामगारों के हितों को कोई नुकसान न पहुंचे। राष्ट्रीय नवीकरण कोष का उपयोग कामगारों के पुनः ऐसे प्रशिक्षण तथा उन्हें फिर से ऐसे काम

पर लगाने के लिए किया जाएगा, जो तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है।

आर्थिक विकास तेज करने तथा गरीबी हटाने हेतु अधिक से अधिक राष्ट्रीय निवेश के लिए सरकारी बचत को बढ़ाया जाएगा, तथा निजी बचतों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। राष्ट्रीय बचत प्रयासों में वृद्धि के लिए विदेशी बचत एवं निवेश का स्वागत किया जाएगा। भारत जैसा विशाल एवं पूंजी निवेश की संभावना वाला देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना संबंधी क्षेत्रों में, विशेषकर विद्युत, सड़कें, बन्दरगाह एवं दूरसंचार में आसानी से दुगुना कर सकता है।

सरकार ऊर्जा, विशेष रूप से बिजली, कोयला एवं पैट्रोलियम के क्षेत्र में तथा सड़क, बन्दरगाह, रेलवे और दूरसंचार के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण उत्पन्न बाधाओं को दूर करने, और इनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एफ एकीकृत एवं समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करेगी। विदेशी निवेश सहित निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचे को सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाया जाएगा।

सरकार काफी समय से लंबित पड़े निगम कानूनों में ऐसा सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे इस कानून का उपयोग केवल नियामक तंत्रों के रूप में ही नहीं, बल्कि आर्थिक उन्नति के साधनों के रूप में हो। इन नियमों से उद्यम-प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा, तथा उद्योगों के सभी अवरोधों एवं हतोत्साहनों से छुटकारा मिलेगा। इस दिशा में आवश्यक विधायी कार्रवाई शीघ्र की जाएगी।

सरकार अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार के लिए लघु उद्योग क्षेत्र को महत्त्व को पूरी तरह से स्वीकार करती है। इस क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी, और तीव्र प्रगति के रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर किया जायेगा।

निर्माण उद्योग हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो लाखों व्यक्तियों को रोजगार देता है। इस क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम रहा है। सरकार इस अधिनियम को औचित्य की समीक्षा करेगी।

इन सब के लिए हमारे छोटे-बड़े सभी उत्पादकों के प्रतियोगी पक्ष को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर सकें। अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु हमें अपनी आयात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात बढ़ाना होगा। अल्प एवं मध्यम अवधि के भूगतान संतुलन के लिए सरकार लगातार और तेजी से निर्यात बढ़ाने तथा पर्याप्त रूप में बिना कर्ज वाली पूंजी जुटाने के लिए नीतियां बनाएगी। सरकार अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण की आवश्यकता के अनुरूप विदेशी मुद्रा नियंत्रणों की समीक्षा करेगी तथा इन्हें सरल बनायेगी।

हमारे वित्तीय एवं पूंजी बाजारों को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार बैंकों सहित सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं को अधिक-से-अधिक

उत्तरदायी एवं प्रतियोगी बनाएगी। स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने तथा घोटालों एवं अनियमितताओं से बचने के लिए सरकार पूंजी बाजारों की व्यवस्था संबंधी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करेगी। इसमें जमाकर्ताओं के लिए शीघ्र एक सरल कानून बनाना भी शामिल होगा।

भारत की तीन-चौथाई आबादी गांवों में बसती है, और कृषि ग्रामिण लोगों के जीवन-यापन का मूलाधार है। ग्रामिण निर्धनता में सुधार लाने, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने, उद्योग तथा सेवाओं के लिए घरेलू बाजार सुदृढ़ बनाने, तथा कृषि एवं उद्योग के बीच पारस्परिक लाभकारी संबंध बनाने के लिए कृषि का तेजी से व्यापक विकास करना जरूरी है। सरकार ग्रामिण आधारभूत संरचना के लिए अधिक से अधिक धन आवंटित करेगी, किसानों को उनके उत्पाद की लाभकारी कीमतें दिलाएगी, चीनी जैसे कृषि पर आधारित उद्योगों को लाइसेंस नियंत्रणों से मुक्त करेगी, तथा ग्रामिण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करेगी। कृषि विकास के लिए दुर्लभ जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग जरूरी है। सरकार निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने को विशेष प्राथमिकता देगी।

जल हमारा सबसे कीमती संसाधन है, और इसके संरक्षण एवं कारगर उपयोग का सर्वोपरि महत्त्व है। सरकार पर्याप्त तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर, एवं लोगों की भागीदारी से सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों के जल-विभाजक आधारित विकास और परती भूमि पूनर्बुद्धार को उच्च प्राथमिकता देती है।

गो-सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा गो-वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार उपयुक्त उपाय करेगी।

महिलाओं को वास्तविक शक्तियां प्रदान करने के लिए सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी, जिनसे यह सुनिश्चित हो कि उनकी गरिमा और अधिकारों का हनन न हो और उनकी क्षमता का उपयोग हो सके। सरकार राज्य विधान सभाओं और संसद सहित सभी निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने के लिए आवश्यक विधायी एवं अन्य उपाय करेगी।

विकलांगों और अन्य ऐसी सभी व्यक्तियों की देख-रेख की प्राथमिक जिम्मेदारी राष्ट्र की है, जो किन्हीं ऐसे कारणों से जिन पर उनका नियंत्रण नहीं है, अभावग्रस्त हैं। साथ ही इस बारे में व्यापक और उद्योगों को उनके सामाजिक उद्देश्य के लिए सुग्राही बनाया जाएगा। हमारे वरिष्ठ नागरिकों पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सरकार उनकी समस्याओं पर विचार करेगी, और ऐसे उपाय करेगी, जिनसे वृद्धावस्था में उनका जीवन अधिक सहज हो सके।

सरकार देश में व्याप्त गरीबी की समस्या के बारे में काफी चिंतित है। देश के सबसे गरीब वर्गों की आवश्यकताओं पर तत्काल एवं सहानुभूतिपूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है। हम उन कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाएंगे, जो उनके सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में काफी सहायक हों। इनसे उन्हें लाभकारी रोजगार मिलेंगे, तथा आमदनी पैदा

करने के साधन प्राप्त होंगे। ऐसा करते समय हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में व्याप्त असमानताओं को दूर किया जा सके। इसलिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों तथा बंधुआ मजदूरों एवं बाल श्रमिकों की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमारे समाज के कमजोर वर्गों के लिए गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कल्याणकारी उपायों के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विशेष रूप से उन लोगों पर सही ध्यान केन्द्रित करना होगा, जिन्हें वास्तव में सरकार से सहायता की जरूरत है। सरकार गरीबों में से भी सबसे गरीब पांच करोड़ परिवारों की शीघ्र पहचान करके उन्हें तत्काल राहत प्रदान करेगी। इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम उन्हें आवश्यक सहयोग देंगे, तथा आर्थिक एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के कार्य में उनका सक्रिय सहयोग लेंगे।

केवल आर्थिक प्रगति ही विकास का मापदंड नहीं हो सकती। गरीबी, बीमारी तथा भुखमरी की समस्याओं पर बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। वास्तव में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य कल्याणकारी उपायों जैसी सामाजिक जरूरतों के अभाव में लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं लाया जा सकता, जो कि विकास का वास्तविक सूचक है। सरकार दस वर्षीय एक ऐसी नवीन योजना शुरू करेगी, जिसमें मुख्य ध्यान गरीबों के बच्चों के लिए पोषक-आहार, उनके स्वास्थ्य की देख-रेख और शिक्षा सुविधाओं पर होगा, ताकि उन्हें अन्य बच्चों के समकक्ष लाया जा सके। इस योजना के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

सरकार शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देती है, क्योंकि यह भौतिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकास एवं समाज तथा व्यक्ति की सम्पन्नता का एक साधन है। श्रम तथा संसाधनों के सापेक्ष लाभ पर आधारित पुरानी व्यवस्था के स्थान पर मानव संसाधन, कार्य दक्षता तथा प्रौद्योगिकी के आधार पर बन रही नई व्यवस्था को अपनाया जा रहा है। हमारे बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य तथा बढ़ती हुई सामाजिक आकांक्षाओं को देखते हुए शैक्षिक कार्यक्रमों में व्यापक सुधार लाने की आवश्यकता है। हम अपने बच्चों को संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार अभी तक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा तक मुहैया नहीं करा पाये हैं। इसमें तत्काल सुधार लाने की आवश्यकता है। सरकार व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगी। सरकार महिलाओं में शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता को भली-भांति समझती है। इस दिशा में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाएगा, ताकि महिलाएं उपयुक्त रोजगार अवसर प्राप्त करने के योग्य बन सकें। उच्च शिक्षा में और सुधार लाया जाएगा, और भारत के अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने में भी शिक्षा को सहायक बनाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। इस क्षेत्र में मौजूदा विशिष्ट शिक्षा केन्द्रों को और अधिक सुदृढ़ बनाने की ओर तत्काल ध्यान दिया जाएगा। नए क्षेत्रों में भी ऐसे केन्द्र खोलने पर विचार किया जाएगा।

हम स्वास्थ्य तथा पोषक-आहार कार्यक्रमों में सरकारी निवेश बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यह लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होगा-सभी के लिए स्वास्थ्य। इन कार्यक्रमों में शिशु मृत्यु-दर में कमी, घातक रोगों से बचाव के लिए बच्चों का टीकाकरण तथा प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था में-सुधार जैसे पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके लिए हम आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी तथा चिकित्सा की अन्य भारतीय पद्धतियों का भी पूरा-पूरा उपयोग करेंगे।

सरकार राष्ट्रीय कार्यसूची में जनसंख्या से संबंधित मुद्दों, विशेषकर परिवार नियोजन को उचित प्राथमिकता देगी। हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य अगली सदी के प्रथम दशक तक जनसंख्या को बढ़ने से रोकना है। सरकार परिवार नियोजन के मानदण्डों को अपनाने के लिए उत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन की नीति बनाएगी।

दुर्भाग्य की बात है कि अनेक बस्तियों में अभी भी पीने के स्वच्छ पानी की कमी है, या उपलब्ध ही नहीं है। एक लाख 60 हजार बस्तियां ऐसी हैं, जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, और एक लाख 40 हजार बस्तियों में पीने का पानी बहुत दूषित है। सरकार एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर अपने सभी लोगों को पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम राज्य सरकारों से परामर्श करेंगे, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने में उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। जिन क्षेत्रों में पेयजल रसायनों से दूषित हो गया है, वहां उसे स्वच्छ और पीने योग्य बनाने के लिए मौजूदा प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। सरकार इस कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी आवश्यक समझती है, और इस प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कार्यवाई करेगी।

सरकार समाज का कायाकल्प करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को भली भांति समझती है। लोक-कल्याण हेतु आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए कदम उठाये जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बात के प्रयास किए जाएंगे कि राष्ट्रीय हितों और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को पर्याप्त संरक्षण मिले। सरकार राष्ट्र के अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग देती रहेगी, जिसने देश के समग्र विकास के लिए उच्च क्षमता तथा उपयोगिता का प्रदर्शन किया है।

हमारी विदेश नीति राष्ट्र हितों की पोषक है। यह विश्व परिदृश्य में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रतिबिम्बित करती है, जो शीतयुद्ध के बाद की स्थिति से उत्पन्न संभावनाओं एवं चुनौतियों का सामना करने, तथा हर तरह के आधिपत्य एवं प्रभुत्व को अस्वीकार करने में समर्थ है। इस प्रक्रिया में हमारे राजनीतिक, आर्थिक सुरक्षा तथा अन्य हितों की रक्षा स्पष्ट एवं सुनिश्चित ढंग से की जाएगी।

सरकार अपनी विदेश नीति के तहत पाकिस्तान सहित दक्षिण एशिया के अपने सभी पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय रूप में, तथा सार्क के मंच पर संबंध सुधारने को विशेष प्राथमिकता देगी। हम सभी देशों के साथ आपसी हितों में सहयोग करेंगे। हम रूस के साथ अपने व्यापक संबंधों को और प्रगाढ़ बनायेंगे। हमें आशा है कि अमरीका

के साथ हमारे संबंध और अधिक सुदृढ़ तथा व्यापक होंगे। हम भारत-चीन संबंधों को सुधारने के लिए मिलने वाले सभी अवसरों का लाभ उठावेंगे, ताकि दोनों देशों में मित्रता तथा सहयोग बढ़े। एशियाई देशों के साथ भाईचारे के लिए अपनी वचनबद्धता के अनुरूप हम आसियान के सदस्य देशों के साथ अपने मैत्री संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करेंगे।

बहुआयामी क्षेत्र में भारत की भूमिका सदैव रचनात्मक रही है। व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि तथा फिसाइल मैटीरियल कंट्रोल-आफ ट्रीटी जैसे मुद्दों पर हमारी नीति हमारी परम्परागत वचनबद्धता के अनुरूप परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की है। यद्यपि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल की हमारी प्रतिबद्धता से सभी भली-भाँति परिचित हैं, फिर भी राष्ट्रीय हितों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक होने पर हम अपनी परमाणु नीति का पुनर्मूल्यांकन करेंगे।

भारत के पड़ोस के कुछ भागों में सुरक्षा की दृष्टि से अनिश्चितता बनी हुई है। यह दुःखद है कि पाकिस्तान का भारत के खिलाफ आतंकवाद भड़काना जारी है। हम पाकिस्तान से आग्रह करते हैं कि वह सभी अनसुलझे मामलों को सुलझाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता हमारी पेशकश पर रचनात्मक रवैया अपनाए।

देश के महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी मामलों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं हथियार प्राप्त करने के मामले में हमारी रक्षा क्षमता के स्वदेशी तकनीकी विकास का कार्यक्रम जारी रहेगा, तथा हमारी सुरक्षा जरूरतों के मुताबिक इस सुदृढ़ बनाया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के ढांचे में सुधार करके और उसका स्तर बढ़ाकर हम राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति समन्वित दृष्टिकोण अपनाने पर बल देंगे।

राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं की क्षमता पर हमें पूरा विश्वास है, और उनकी क्षमता को बरकरार रखने, एवं उसे बढ़ाने के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि सशस्त्र सेनाओं की कर्तव्यनिष्ठा एवं समर्पण की भावना की सराहना करने में मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को भी परिलक्षित कर रहा हूँ। उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए सरकार उनके कल्याण हेतु हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने भूतपूर्व सैनिकों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने राष्ट्र की अमूल्य सेवा की है। इसलिए उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार उनके पुनर्वास और कल्याण के लिए समुचित निधि वाले सैनिक कल्याण प्रतिष्ठान की स्थापना करेगी।

हम अगल सदी के द्वार पर खड़े हैं, और हमारे समक्ष अनेक महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं। ग्यारहवीं लोक सभा को देश को अगली सदी में ले जाने के कार्य में अपना योगदान करने का गौरव प्राप्त होगा।

इस ऐतिहासिक कार्य में मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

जुब हिन्द

अपराह्न 12.35 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने भूतपूर्व सहयोगियों सर्वश्री गोविन्द दास रिछारिया, तरूण कान्ति घोष, ओंकार लाल बेरवा, हुकम चन्द कछवाय, राम स्वरूप तथा प्रकाश कोको ब्रह्म भट्ट के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

डा. गोविन्द दास रिछारिया ने पांचवीं लोक सभा में 1971-77 के दौरान उत्तर प्रदेश के झांसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वे 1984-89 के दौरान राज्य सभा के भी सदस्य रहे।

एक सक्रिय राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता, डा. रिछारिया ने 1961-70 के दौरान अध्यक्ष, झांसी जिला परिषद् तथा 1980-85 के दौरान, उपाध्यक्ष, खादी ग्रामोद्योग कमीशन, मुम्बई के रूप में कार्य किया। उन्होंने शिक्षा के प्रसार में विशेष रूचि ली तथा अपने क्षेत्र में अनेक प्राथमिक एवं उच्च स्कूलों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और अनुसूचित जातियों एवं समाज के कमजोर वर्गों से सम्बद्ध मेधावी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई। उन्होंने युवकों को प्रोत्साहित करने के लिए पुस्तकालयों एवं शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्रों की भी स्थापना की। डा. रिछारिया ने औद्योगिक विकास एवं इससे सम्बद्ध अन्य विषयों पर कुछ लेख भी लिखे तथा "बुन्देलखण्ड के विकास के लिए आवश्यक सुझाव" नामक पुस्तक भी लिखी।

डा. गोविन्द दास रिछारिया का निधन 76 वर्ष की आयु में 18 मार्च, 1996 को झांसी में हुआ।

श्री तरूण कान्ति घोष 1984-89 के दौरान पश्चिम बंगाल के बारसाट संसदीय क्षेत्र से आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

इससे पहले वे पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य रहे तथा 1952-67 तथा 1972-77 के दौरान राज्य में मंत्री भी रहे।

एक प्रतिष्ठित राजनीतिक नेता श्री घोष अमृत बाजार पत्रिका युगान्तर प्रकाश समूह कलकत्ता के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक भी रहे।

24 मार्च, 1996 को कलकत्ता में 77 वर्ष की आयु में श्री तरूण कान्ति घोष का देहावसान हो गया।

श्री ओंकार लाल बेरवा ने 1962-67, 1967-70 तथा 1971-77 के दौरान क्रमशः तीसरी, चौथी, तथा पांचवीं लोक सभा के दौरान राजस्थान के कोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वे एक समर्पित राजनैतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे तथा श्री बेरवा श्रमिक कल्याण से संबंधित विभिन्न संगठनों से जुड़े रहे तथा

उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कठिन परिश्रम किया।

एक सक्रिय संसदविद के रूप में श्री बेरवा ने संसद की कार्यवाही में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा वे विभिन्न संसदीय समितियों तथा मंत्रालयों से संबंधित सलाहकार समितियों के सदस्य भी रहे।

10 अप्रैल, 1996 को 80 वर्ष की अवस्था में श्री ओंकार लाल बेरवा का कोटा में निधन हो गया।

श्री हुकम चन्द कछवाय 1962-67, 1967-70, 1971-77 और 1977-79 के दौरान मध्य प्रदेश के देवास, उज्जैन और मुरैना संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से क्रमशः तीसरी, चौथी, पांचवीं और छठी लोक सभा के सदस्य रहे।

श्री कछवाय एक समर्पित राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे और श्रमिकों के कल्याण से संबंध विभिन्न संगठनों से जुड़े रहे थे। वह राजनैतिक आंदोलनों के संबंध में अनेक बार जेल भी गए। उन्होंने अनेक देशों की यात्रा की तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए कठिन परिश्रम किया।

एक सक्रिय सांसद के रूप में भी श्री कछवाय ने सभा की कार्यवाही में बहुमूल्य योगदान दिया तथा विभिन्न संसदीय समितियों में सदस्य के रूप में कार्य किया।

श्री कछवाय का निधन 21 अप्रैल, 1996 को 63 वर्ष की आयु में मध्य प्रदेश में उज्जैन में हुआ।

श्री राम स्वरूप 1962-77 के दौरान तीसरी, चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के राबर्ट्सगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले वह 1952-57 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे थे। एक समर्पित राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता श्री राम स्वरूप श्रमिकों की भलाई के लिये बने अनेक संगठनों से जुड़े थे। उन्होंने दलितों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिये कठिन परिश्रम किया।

उन्होंने सभा की कार्यवाही में गहन रुचि ली और 1970 के दौरान वह प्राक्कलन समिति के सदस्य थे।

2 मई, 1996 का 70 वर्ष की आयु में श्री राम स्वरूप का नई दिल्ली में निधन हुआ।

श्री प्रकाश कोको ब्रह्म भट्ट नौवीं लोक सभा के सदस्य थे जिन्होंने वर्ष 1989-91 के दौरान गुजरात के बड़ौदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व वर्ष 1985-89 के दौरान वे गुजरात विधान सभा के सदस्य और वर्ष 1987 में बडोदरा जिला पंचायत के वाइस प्रेजीडेंट भी रहे।

श्री भट्ट ने संसद की कार्यवाहियों में गहरी रुचि ली और अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और मंत्रालयों से संबंध परामर्शदात्री

समितियों सहित अनेक संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया।

श्री प्रकाश कोको ब्रह्म भट्ट का निधन 45 वर्ष की अल्पायु में 11 मई, 1996 को हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन के पर शोक व्यक्त करते हैं तथा मुझे विश्वास है कि यह सभा शोकाकुल परिवारों को संवेदनाएं भेजने में मेरे साथ है।

अब सभा के सदस्य दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान में कुछ क्षण मौन खड़े होंगे।

अपराह्न 12.40 ¹/₂ बजे

तात्पर्यात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अपराह्न 12.42 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रपति द्वारा 26.3.1996 को प्रख्यापित माध्यस्थम और सुलह दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्याक 11) आदि

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) सविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अंतर्गत, निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 26 मार्च, 1996 को प्रख्यापित माध्यस्थम और सुलह दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्याक 11) तथा उसका एक शुद्धि-पत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी.3/96]

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 26 मार्च, 1996 को प्रख्यापित कोयला खान भविष्य निधि और प्रक्रीर्ण उपबंध (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्याक 12) तथा उसका एक शुद्धि-पत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी.4/96]

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1996 को प्रख्यापित औद्योगिक विवाद (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्याक 13) तथा उसका एक शुद्धि-पत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी.5/96]

(चार) राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1996 को प्रख्यापित कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्याक 14)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी.6/96]

(पांच) राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1996 को प्रख्यापित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्याक 15) तथा उसका एक शुद्धि-पत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी.7/96]

(छह) राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1996 को प्रख्यापित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्याक 16)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी.8/96]

(सात) राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1996 को प्रख्यापित निक्षेपागार (दूसरा) अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्याक 17) तथा उसका एक शुद्धि पत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी.9/96]

(आठ) राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1996 को प्रख्यापित उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्याक 18) तथा उसका एक शुद्धि पत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी.10/96]

(नौ) राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1996 को प्रख्यापित संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्याक 19)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी.11/96]

(दस) राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1996 को प्रख्यापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (दूसरा) अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्याक 20) तथा उसका एक शुद्धि-पत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी.12/96]

(ग्यारह) राष्ट्रपति द्वारा 25 अप्रैल, 1996 को प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्याक 21)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी.13/96]

(2) दिनांक 5 जनवरी, 1996* के कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश, 1996 (1996 का

संख्यांक 2) का शुद्धि-पत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण), जो 19 अप्रैल, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, कि एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी.14/96]

(3) दिनांक 5 जनवरी 1996* के भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 3) का शुद्धि पत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण), जो 19 अप्रैल, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, कि एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी.15/96]

(4) दिनांक 5 जनवरी, 1996* के भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 4) का शुद्धि पत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण), जो 19 अप्रैल, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, कि एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी.16/96]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था से संबंधित एक प्रश्न रख रहा हूँ। भारतीय संविधान को अनुच्छेद 86 एवं 87 में राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने का अधिकार दिया गया है तथा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 16 और 17 में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा एवं बहस के स्वरूप एवं अवसर के बारे में निर्णयात्मक निर्णय का उल्लेख किया गया है। क्योंकि इसे आज की कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया है, अतः मैं यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। गौ-रक्षा के मुद्दे तथा समूचे भारत के एक अत्यंत संवदेनशील तंत्र से संबंधित विषयों पर राष्ट्रपति के अभिभाषण के संदर्भ में, आज पूरे देश को पहले ही एक गलत संकेत मिला है। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह महसूस करता हूँ कि यहां उपस्थित गृह मंत्री जी को साफ तौर पर यह बताना ही चाहिए कि इन बातों का अर्थ गौ-हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना नहीं है। इस घड़ी में देश के सामने यह एक गम्भीर प्रश्न उत्पन्न हो गया है। जब तक कि इस सत्र के प्रारम्भिक क्षणों में साफ तौर पर यह स्पष्ट नहीं कर दिया जाता...

(व्यवधान) यद्यपि अनुच्छेद 86 एवं 87 में राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने की शक्ति प्रदान की गई है, फिर भी संविधान की उद्देशिका ने निहित भावना के विपरित कुछ भी नहीं कहा जाना चाहिए, जिसमें कि दृढ़तापूर्वक यह उल्लेख किया गया है कि इस देश की धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक सरकार को संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना चाहिए....(व्यवधान)

11

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण का सदन से बहिर्गमन करके इसका विरोध किया है....(व्यवधान)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : महोदय, यदि इसे सुस्पष्ट नहीं किया जाता, तो इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : यह इस देश में धर्मनिरपेक्षवाद से जुड़ा प्रश्न है...(व्यवधान) भारत एक धर्म निर्पेक्ष देश है ...(व्यवधान) मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन से बहिर्गमन करके इसका विरोध किया है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, ठीक है, राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति अभी-अभी सभा पटल पर रख दी गई है।

कुमारी ममता बनर्जी : यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा तथा वही राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में चर्चा करने का वही उचित समय होगा।...

(व्यवधान)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : महोदय, यदि कुछ गलत हो जाता है, तो उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने विनिर्णय दे दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। उन्होंने इस बात को नोट कर लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे एक घोषणा करनी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही अपना विनिर्णय दे चुका हूँ।...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ममता जी, मैंने पहले ही अपना विनिर्णय दे दिया है। मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.45 1/2 बजे

लोक सभा की बैठक के संबंध में घोषणा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि चूंकि मुहर्रम अब मंगलवार, 28 मई, 1996 के स्थान पर बुधवार, 29 मई, 1996 को मनाया जायेगा, इसलिए बुधवार, 29 मई, 1996 के लिए निश्चित सभा की बैठक रद्द कर दी जाये और उसके बदले सभा की बैठक मंगलवार, 28 मई, 1996 को हो।

अपराह्न 12.47 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 27 मई, 1996/6 ज्येष्ठ, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 1996 प्रतिनिधित्वधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
डाटा प्वाइंट, 615, सुनेजा टावर-II, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली-58 (फोन-5505110) द्वारा मुद्रित।
